11. अनापत्ति प्रमाण–पत्र की शर्तों की अनुपालन आख्या प्रत्येक माह बोर्ड को प्रेषित की जायेगी तथा परियोजना के संचालन से दो माह पूर्व सहमति जल/वायु प्राप्त करने हेतु निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन किया जाये।
12. प्रस्तावित परियोजना में 5693.68 वर्गमीटर क्षेत्रफल में कुल 42 फ्लैट्स का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है।
13. प्रस्तावित आच्छादित क्षेत्र के बाह्य हिस्से में तथा संवेदनशील स्थानों पर सौर ऊर्जा चालित प्रकाश की व्यवस्था किया जाये, जिससे कि आपातकाल स्थिति में प्रकाश की व्यवस्था सुनिश्चित हो सके।
14. प्रस्तावित परियोजना स्थल के आस–पास एकास्टिक व्यवस्था इस प्रकार से किया जाये जिससे कि परिसर के अन्दर एवं बाहर ध्वनि का स्तर मानकों के अनुरूप रहे।
15. प्रस्तावित परियोजना हेतु अग्निशमन तथा नागरिक सुरक्षा के समस्त मापदण्डों का अनुपालन किया जाये।
16. प्रस्तावित परियोजना से जनित होने वाले ठोस अपशिष्ट के अस्थाई भण्डारण की व्यवस्था स्थापित कर इसका निस्तारण नगरीय ठोस अपशिष्ट नियमावली के अनुरुप किया जाये एवं प्रस्तावानुसार बायोडिग्रेडिबिल घरेलू अपशिष्ट का उपयोग बायोकम्पोस्ट खाद के निर्माण में किया जाये।
17. प्रस्तावित परियोजना के अन्दर समुचित लाइटिंग एवं पार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये, जिससे कि सामान्य यातायात प्रभावित न हो।
18. प्रस्तावित परियोजना/किया कलापो का विस्तार या आधुनिकीकरण प्रकिया में परिवर्तन करने से पूर्व बोर्ड से पुनः अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।
19. उपरोक्त शर्तें, अन्य विभागीय स्वीकृतियों एवं शर्तों को प्रभावित नहीं करेंगी।

यह अनापत्ति प्रमाण–पत्र दिनॉक 31.12.2013 तक विधिमान्य होगा। शर्तों के संशोधन का अधिकार बोर्ड के पास सुरक्षित है। शर्तों का उल्लंघन पाये जाने पर यह अनापत्ति प्रमाण–पत्र निरस्त (रिवोक) किया जा सकता है।

भवदीय,

(राधेश्याम)
क्षेत्रीय अधिकारी

पृ0सं0 तद् दिनॉक

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषितः–

1. मुख्य पर्यावरण अभियन्ता (वृत्त–2), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
2. कार्यालय भवन विभाग, कानपुर विकास प्राधिकरण, कानपुर।

क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय :
५२४३, सद्भावना नगर, आवास विकास फेज-३, कल्यानपुर, कानपुर - २०८ ०१७

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

REGIONAL OFFICE :

5243, Sadbhawna Nagar, Awas Vikas Phase-3, Kalyanpur, Kanpur-208 017

संदर्भ 1743/एन०ओ०सी०-54/10 दिनांक 05/07/10

सेवा में,

श्रीमती तसनीम अशरफ पत्नी श्री आशिफ अशरफ
88/22 नाला रोड, चमनगंज
कानपुर नगर।

विषयः <u>पर्यावरण प्रदूषण की दृष्टि से प्रस्तावित स्थल भूखण्ड सं0 1 ए, आजाद नगर, कल्यानपुर, कानपुर नगर पर प्रस्तावित आवासीय अपार्टमेन्ट के निर्माण हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र का निर्गमन।</u>

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने आवेदन पत्र जो इस कार्यालय में दिनॉक 14.06.10 को प्राप्त हुआ है, का सन्दर्भ ग्रहण करें। आपके आवेदन पत्र पर इस कार्यालय द्वारा विचार किया गया। आवेदन पत्र के परीक्षण तथा स्थल निरीक्षण के उपरान्त प्रस्तावित स्थल पर परियोजना/अपार्टमेन्ट के निर्माण हेतु पर्यावरणीय दृष्टिकोण से निम्नलिखित विशिष्ट एवं सामान्य शर्तों के साथ सशर्त अनापत्ति स्वीकृत की जाती है:–

1. अनापत्ति प्रमाण–पत्र निम्नलिखित विशिष्ट विवरणों के लिए निर्गत किया जा रहा है:–

(क) प्रस्तावित अपार्टमेन्ट का नाम एवं स्थल	**आनन्द आशियाना** 1 ए, आजाद नगर, कल्यानपुर कानपुर नगर।
(ख) कुल घरेलू उत्प्रवाह की मात्रा	25 किली0/दिन
(ग) प्रयुक्त ईंधन एवं उसकी मात्रा	एच0एस0डीजल (डी0जी0सेट हेतु) आवश्यकतानुसार।

उपर्युक्त विषयवस्तु में किसी भी प्रकार के परिवर्तन करने पर पुनः अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

2. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या एस0ओ0 1533 दिनांक 14/09/06 (यथा संशोधित) एवं उ0प्र0 सरकार के शासनादेश संख्या 872/55–पर्या–2008–118(पर्या) 2008 दिनांक 21 अप्रैल 2008 के प्राविधानो, कानपुर महायोजना–2021 तथा कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा स्थल विकास/भवन निर्माण हेतु निर्मित दिशा–निर्देशो का पूर्णतया पालन किया जाये।
3. बिल्ड अप एरिया का क्षेत्रफल कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित गाइड लाइन के अनुरूप होना चाहिए।
4. प्रस्तावित परियोजना में घरेलू उपयोग हेतु प्रस्तावानुसार 42 किली/दिन से अधिक जल का प्रयोग नहीं किया जायेगा।
5. घरेलू बहिस्राव जिसकी मात्रा 25 किली0/दिन से अधिक न होगी, को निर्धारित मानकों के अनुरूप शुद्धिकृत करके यथासम्भव शुद्धिकृत जल का प्रयोग गार्डेनिंग इत्यादि में किया जाये।
6 उपरोक्त वर्णित मात्रा के अतिरिक्त प्रतिष्ठान में अन्य किसी प्रकार के ईंधन/खतरनाक रसायन का प्रयोग एवं भण्डारण नहीं किया जायेगा।
7. प्रस्तावित परियोजना में प्रस्तावित डी0 जी0 सेट्स से सम्बद्ध चिमनीं की ऊँचाई नियमानुसार भवन छत से $0.2\sqrt{KVA}$ मी0 ऊपर रखी जाये तथा ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण हेतु समुचित क्षमता के कैनोपी/एकास्टिक इन्क्लोजर्स की स्थापना किया जाये।
8. प्रस्तावित परियोजना के चारों तरफ पर्यावरण विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार निर्धारित क्षेत्रफल में हरित पट्टिका का विकास किया जायेगा।
9. प्रस्तावित परियोजना की स्थापना एवं संचालन इस प्रकार किया जाये जिससे कि पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव नही पड़े तथा कोई भी किया–कलाप जनहित के प्रतिकूल नही किया जाये।
10. भूगर्भ जल स्तर को गिरने से बचाने के लिए भूगर्भ जल निदेशालय उ0प्र0 द्वारा भवन छत के क्षेत्रफल के अनुसार जारी गाइड लाइन के अनुरूप प्रस्तुत प्रस्तावानुसार रूफ टाप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की स्थापना किया जाये।

क्रमशः